HRA Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II — Section 3—Sub-section (ii)

AKT 11—Section 3—Sub-section (ii प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ні. 494] No. 494]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2007/वैशाख 7, 1929 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 3007/VAISAKHA 7, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2007

का.आ. 679(अ).—केन्द्रीय सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका (सी) सं. 1985 का 13029 में तारीख 7 जनवरी, 1998 के आदेश के अनुपालन में, तारीख 29 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 93(अ) के अधीन पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण (ई पी सी ए) का गठन किया था:

और उक्त प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा और गुणता सुधार और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया था:

और उक्त प्राधिकरण उपरोक्त निर्दिष्ट अधिसूचना के निबंधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय की सहायता कर रहा है;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है और इसे ऑतम बार 27 जुलाई, 2006 को बढ़ाया गया था;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त प्राधिकरण का कार्यकाल छ: मास की अवधि के लिए और आगे बढ़ाना आवश्यक मानती है ताकि प्राधिकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके।

अब, अत:, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) को धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के तारीख 29 जनवरी, 1998 के आदेश

संख्या का.आ. 93(अ), में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामशः:

> डक्त आदेश के पैरा 1 में "नौ वर्ष की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "नौ वर्ष और छ: मास की अवधि के लिए और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अधीन की गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं तक, जो भी पहले हो" शब्द रखे जाएंगे।

> > [फा. सं. क्यू-18011/13/2000 सीपीए]

ज. मो. माऊसकर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—मूल आदेश को भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 93(अ), तारीख 29 जनवरी, 1998 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चात्वर्ती संशोधन सं. का.आ. 68(अ), तारीख 25 जनवरी, 2000, सं. का.आ. 108(अ), तारीख 25 जनवरी, 2002, सं. का.आ. 99(अ), तारीख 28 जनवरी, 2003, सं. का.आ. 396(अ), तारीख 3 अप्रैल, 2003, सं. का.आ. 94(अ), तारीख 25 जनवरी, 2006 और सं. का.आ. 1207(अ), तारीख 27 जुलाई, 2006 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS ORDER

New Delhi, the 27th April, 2007

S.O. 679(E).—Whereas in pursuance of the order dated 7th January, 1998 of the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 13029 of 1985, the Central Government constituted the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA), vide Notification No. S.O. 93(E), dated 29th January, 1998;

And whereas, the said Authority was constituted with the objective of protecting and improving the quality

of the environment and preventing and controlling environmental pollution in the National Capital Region;

And whereas, the said Authority is assisting the Hon'ble Supreme Court in various environment related matters in the National Capital Region in terms of the above referred Notification;

And whereas, the tenure of the said Authority was extended from time to time by the Central Government and lastly it was extended on 27th July, 2006;

And whereas, the Central Government considers it necessary to extend the tenure of the said Authority for a further period of six months so that the Authority is able to address those important issues relating to pollution in the National Capital Region.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 93(E), dated the 29th January, 1998, namely:—

In the said Order, in paragraph 1, for the words "for a period of nine years", the words "for a period of nine year and six months or till alternative arrangements are made under Section 3(3) of Environment (Protection) Act, 1986, whichever is earlier" shall be substituted.

[F. No. Q-18011/13/2000-CPA]

J. M. MAUSKAR, Jt. Secy.

Note:—The principal Order was published in the Gazette of India vide No. S.O. 93(E), dated the 29th January, 1998 and subsequently amended vide No. S.O. 68(E), dated the 25th January, 2000, No. S.O. 108(E), dated the 25th January, 2002, No. S.O. 99(E), dated the 28th January, 2003, No. S.O. 396(E), dated the 3rd April, 2003, No. S.O. 94(E), dated the 25th January, 2006 and No. S.O. 1207(E), dated the 27th July, 2006.